>

Title: Need to ensure transparency in the allotment of state cadre for the Probationary Officers in Banking Sectors.

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, अखिल भारतीय सेवाओं में राज्यों का आवंटन लॉटरी से होता है। यह बहुत ही गलत मुद्दा है और इसके तहत बहुत सारे अभ्यर्थी प्रभावित होते हैं, इसलिए मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं। जिसके फलस्वरूप सभी श्रेणी, जिनमें सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी सभी राज्यों में जाते हैं। इस तरह राज्य आवंटन में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक प्रोबेशनरी पदाधिकारी की नियुक्ति अखिल भारतीय स्तर पर करते हैं। बैंक में जोन एवं राज्य का आवंटन लॉटरी के आधार पर न करके, श्रेणी के आधार पर किया जाता है। इसके फलस्वरूप अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के चयनित अधिकारी को राज्य से बाहर राज्य आवंटित किया जाता है तथा सामान्य वर्ग के पदाधिकारी को अपना राज्य आवंटित नहीं किया जाता है। हिन्दी भाषी राज्यों के अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों को गैर हिन्दी भाषी राज्यों में पदस्थापना के फलस्वरूप इन्हें 9 वर्षों तक भाषा की समस्या होती है, क्योंकि इनका टैन्योर 9 वर्ष का होता है। किसी राज्य में पी.ओ. की पोस्टिंग 9 वर्ष के लिए होती है। पांच वर्ष में इनकी परीक्षा होती है, जिसे भाषा की समस्या के कारण वे पास नहीं कर पाते हैं और जो अपने राज्य में रहते हैं, वे अपनी परीक्षाएं पास करके आगे बढ़ जाते हैं, जैसे- ए.जी.एम. इत्यादि बन जाते हैं। इससे उनकी दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अंतिम दौर में यह उनकी प्रोन्नति को प्रभावित करता है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अखिल भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरह राष्ट्रीयकृत बैंकों में पी.ओ. के रूप में जो बहाली होती है, उसका आवंटन भी लॉटरी से करने के लिए निर्देशित किया जाए।